

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग)
8वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

फा0संख्या-_____ -न्यायिक/

11 (२२) /Admn./ 152 LA / 2025 / 2810-2811

दिनांक 21/3/25

सेवा में,

श्रीमान् उपसचिव प्रश्न शाखा,
पुराना सचिवालय दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

विषय:- दिनांक 24.03.2025 को सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 62

महोदय,

उपरोक्त विषयक में आपके पत्र संख्या सं.एफ.11(बी-1)VIII /2025-30/वि.स.स./प्रश्न शा./2062 दिनांक 15.03.2025 जिसमें विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग से प्रश्नों का जवाब मांगा गया, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस मुद्दे पर माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी की पूर्व स्वीकृति ली गई है।

उपसचिव (प्रशासन)
21/3/25

संलग्न:- उपरोलिखित

फा0संख्या-_____ -न्यायिक/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय

पुराना सचिवालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (150 प्रति संलग्न)

उपसचिव (प्रशासन)
21/3/25

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग)
8वां स्तर, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 62

दिनांक:- 24.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम:- चौधरी जुबेर अहमद

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

62क) मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;	इस तरह का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
ख) क्या उपर्युक्त राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित की गई है; और	उपरोक्त
ग) क्या मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का बजटीय अंशदान 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?	नहीं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्रीका सिंह

प्रधान सचिव
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)